MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

For

Implementation of ‘CLICK’ Scheme

[Computer Learning Initiative for Comprehensive Knowledge]

(क्लिक’ योजना क्रियानवयन हेतु सहमति पत्र)

शैक्षणिक सत्र 2024-25 से विद्यालय में ’क्लिक’ योजना के क्रियान्वयन हेतु इस सहमति पत्र (जिसे इस दस्तावेज में आगे ’**एम.ओ.यू.**’ कहा गया है) का निष्पादन आज दिनांक .... को स्थान .... पर निम्न पक्षों के मध्य किया गया है :–

1. **प्रथम पक्ष** : विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, राजकीय ....
   (जिसे इस दस्तावेज में आगे ’एस.डी.एम.सी.’ कहा गया है)

तथा

2. **द्वितीय पक्ष** : राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत आई.टी. ज्ञान केंद्र मेसर्स ....ज्ञानकेंद्रकोड:- ....
   पता.. (जिसे इस दस्तावेज में आगे ’आई.टी. ज्ञान केंद्र ’ कहा गया है)

यहां

1. **विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति**, राजस्थान सहकारी संस्था पंजीकरण अधिनियम–1958 अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है जिसमें राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्याार्थियों के अभिभावक, परिक्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विशिष्ट मनोनीत व्यक्ति, विद्यार्थी प्रतिनिधि व शिक्षकगण सदस्य होते हैं। साधारण सभा में से ही इसकी 15 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित होती है जो इस समिति के सामान्य कार्य निष्पादित करती है। विद्यालय विशेष ने विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का पंजीकरण उक्त अधिनियम में नहीं करवाया है परन्तु विद्यालय हित में न्यूनतम गत एक वर्ष से वह समिति विधिवत रुप से कार्य कर रही है तो वह भी मान्य है।

तथा

2. आई.टी. ज्ञान केंद्र का अर्थ सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र जिसे **RKCL (राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर, कम्पनी अधिनियम–1956 के अंतर्गत दिनांक 25 अप्रेल 2008 पंजीकृत एक पब्लिक लिमिटेड कंम्पनी है। यह राजस्थान सरकार** तथा अन्य नॉलेज पार्टनर का एक संयुक्त उपक्रम है) द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार आरएस-सीआईटी और अन्य कार्यक्रमों / पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अधिकृत किया गया है।

इस सहमति पत्र में दोनों पक्ष परस्पर सहयोग व समन्वय से ’क्लिक’ (Computer Learning Initiative for Comprehensive Knowledge) योजना के क्रियान्वयन व गुणवत्तापूर्ण कार्यनिष्पादन हेतु सहमत हैं। इस योजनान्तर्गतं विद्यालय के विद्यार्थियों को समग्र कौशल दक्षता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित यह योजना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर के दिशा निर्देशन मे कार्य करेगी।

योजना का प्रारुप

1. कार्ययोजना

(क) यह योजना विद्यार्थियों में समग्र ज्ञान का विकास करने हेतु कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की एक स्वैच्छिक व स्ववित्तपोषण आधारित पहल है।
(ख) विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी को विद्यालय समय में समय सारणी निर्धारित कर कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
(ग) योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध रुप से किया जाएगा।
(घ) प्रथम चरण में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को इस योजना अंतर्गत पंजीकरण की अनुमति होगी परन्तु प्रशिक्षण योजना में पंजीकरण संख्या न्यूनतम 200 विद्यार्थियों का होना आवश्यक है|
(ड.) योजना क्रियान्वयन हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षर होने की दिनांक से तीन माह के भीतर एस.डी.एम.सी. अध्यक्ष की अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अभिभावक शिक्षक परिषद् अध्यक्ष, शिक्षा उपसमिति प्रतिनिधि, विद्यालय आईसीटी प्रभारी या विज्ञान / गणित शिक्षक, विद्यार्थी प्रतिनिधि, आर. के सी.एल के आई.टी.ज्ञान केंद्र प्रतिनिधि , जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के प्रतिनिधि सदस्य होंगे व एस.डी.एम.सी. सचिव इस समिति का सदस्य सचिव होगा।
(च) संचालन समिति प्रत्येक त्रैमास पर इस आशय की बैठक करेगी व प्रथम बैठक एम.ओ.यू. हस्ताक्षर की दिनांक से एक माह के भीतर बैठक कर समस्त औपचारिकतओं व व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी व योजना प्रारंभ करवाएगी।
(छ) राज्य स्तर पर इस आशय हेतु गठित विशेष समिति द्वारा` योजना के आकार, अवधि, प्रारुप, पाठ्यक्रम, शुल्क संरचना में परस्पर समन्वय से सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. भूमिका एवं दायित्व

(2.1) एस.डी.एम.सी. की भूमिका

(क) इस योजना हेतु विद्यालय की एस.डी.एम.सी. द्वारा कम्प्यूटर लैब, कम्प्यूटर (साफ्टवेयर सहित) व अन्य आवश्यक भौतिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाऐंगे।
(ख) कम्प्यूटर लैब, कम्प्यूटर व अन्य आवश्यक भौतिक उपकरणों के रख रखाव , सुरक्षा व मरम्मत का उत्तरदायित्व एस.डी.एम.सी. का होगा।
(ग) एस.डी.एम.सी. स्वयं के स्तर पर विद्यालय विकास कोष, विद्यार्थी कोष, विभागीय योजनाओं, भामाशाह सहयोग, जनसहयोग, सांसद–विधायक क्षेत्रीय विकास फण्ड आदि विभिन्न स्त्रोत से वित्त के प्रबंध का निरंतर प्रयास करेगी व इस योजना के उन्नयन के लिए उपयोग करेगी।
(घ) एस.डी.एम.सी. द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावेगा।
(ड़) विद्यार्थियों से शुल्क का संग्रहण एस.डी.एम.सी. द्वारा ही किया जावेगा। शुल्क संग्रहण प्रतिमाह की 10 तारीख तक किया जा कर , 15 तारीख तक , आर. के सी.एल के

आई.टी. ज्ञान केंद्र को अग्रिम आधार पर भुगतान किया जाएगा । आई.टी. ज्ञान केंद्र को सीधा भुगतान का दायित्व एस.डी.एम.सी. का रहेगा।

(च) एस.डी.एम.सी. द्वारा , आर. के सी.एल के आई.टी. ज्ञान केंद्र के साथ विचार विमर्श कर शिविरा पंचांग में निर्धारित विद्यालय समय सारणी की पालना करते हुए ही कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कालांशों का आवंटन किया जाएगा।

(छ) एस.डी.एम.सी. की मासिक बैठकों, विभागीय बैठकों व अवलोकन कार्यक्रमों के दौरान इस योजना की प्रगति की समीक्षा व मूल्यांकन सतत् रुप से किया जाएगा।

(2.2) आर.के.सी.एल. के आई. टी ज्ञान केन्द्र की भूमिका

- इस योजना हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निम्नानुसार संख्यात्मक अनुपात में अनुदेशक का नियोजन ITGK द्वारा किया जाएगा :–
  200 से 249 विद्यार्थियो के नामांकन पर – एक मुख्य अनुदेशक
  250 से 399 विद्यार्थियो के नामांकन पर – एक मुख्य व एक सहायक अनुदेशक
  400 से अधिक विद्यार्थियो के नामांकन पर – एक मुख्य व दो सहायक अनुदेशक
- आई.टी ज्ञान केंद्र द्वारा अनुदेशक का नियोजन योग्यता के आधार पर किया जाना आवश्यक है | अनुदेशक की योग्यता निम्न में से कोई एक होनी चाहिय:
  MCA, MSC-IT/CS, PGDCA, BCA, B-TECH समकक्ष या अधिक|
  (कुछ असाधारण परिस्थिति में विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति तथा आई.टी. ज्ञान आपसी सहमति से अनुदेशक की योग्यता निर्धारित कर सकते है|)
- छात्रों का पंजीकरण, प्रशिक्षण विधि, स्टडी मटेरियल , मूल्यांकन तथा प्रमाण पत्र आदि का कार्य ज्ञान केंद्र राज्यस्तरीय कमेटी के सुझाव के अनुसार करेंगे|
- आर.के.सी.एल. के आई. टी ज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर योजना की निरंतर मॉनिटरिंग की जावेगी व साफ्टवेयर अद्यतन करने हेतु यथा संभव तकनीकी सहायता उपलब्धत करवाई जाएगी।
- कम्प्यूटर लैब का उपयोग सावधानी से किया जाएगा व किसी उपकरण पर स्वामित्व नहीं जताया जाएगा।
- निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियां के ज्ञान का मूल्यांकन करने व मान्य प्रमाण प्रदान करने का दायित्व आर.के.सी.एल. के आई. टी ज्ञान केन्द्र का होगा।
- आई. टी ज्ञान केन्द्र . द्वारा समय समय पर व शिक्षा विभाग द्वारा मांग किए जाने पर योजना संबंध में प्रगति रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाऐंगे।
- इस योजना हेतु कार्यरत अनुदेशक व अन्य समस्त कार्मिक विद्यालय में उपस्थिति के दौरान विद्यालय प्रशासन के पूर्ण नियंत्रण में अनुशासित ढ़ंग से 'क्लिक' योजना से संबंधित कार्य का ही निष्पादन करेंगे। एस.डी.एम.सी. रिपोर्ट के आधार पर ही अनुदेशक का कार्य सम्पादन माना जाएगा व विपरीत कार्य व्यवहार रिपोर्ट पर तुरंत कार्यमुक्ति की जाएगी।

3. विविध प्रावधान

- विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति एवं आर.के.सी.एल. द्वारा संयुक्त बैठक हर मास समाप्ति पर की जावेगी। बैठक में योजना के सफल निष्पादन हेतु मैत्रीपूर्ण ढंग से विचार विमर्श कर समन्वय कारी निर्णय लिए जाऐंगे।

- आदर्श विद्यालयों की ब्लॉक स्तरीय व जिला स्तरीय बैठकों में भी इस योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी व व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।

- आर.के.सी.एल. के अधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र व विद्यालय प्रशासन के मध्य मतभिन्नता व विवाद की स्थिति में विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा हस्तक्षेप कर मैत्रीपूर्ण ढंग से मामला सुलझाया जाएगा।

- विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा अनिणर्य की स्थिति में अनुशंसा सहित बकाया विवादास्पद मामला निर्णय हेतु जिला निष्पादन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिला निष्पादन समिति की प्रत्येक बैठक में आर.के.सी.एल. का प्रतिनिधि सदस्य उपस्थित होगा व इस योजना की प्रगति समीक्षा की जाएगी।

- जिला स्तर पर अनिर्णित मामले अग्रेषण टिप्पणी सहित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् को भिजवाए जाऐंगे। राज्य स्तर पर इस आशय हेतु गठित विशेष समिति द्वारा इन मामलों का अंतिम निस्तारण किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति में आर.के.सी.एल. के दो प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

- सभी प्रकार के कर यदि लागू हो तो आई.टी.ज्ञान केंद्र द्वारा वहन किये जायेंगे|

वैधता यह MOU दिनांक.............................. से दिनांक....................तक मान्य रहेगा

उपर्युक्त उल्लेखित समस्त बिन्दुओं को समझने व सावधानीपूर्वक अध्ययन के पश्चात् दस्तावेज के प्रारंभ में लिखी गई तिथि, माह व वर्ष को सभी पक्षों द्वारा परस्पर सहयोग हेतु इस एम.ओ.यू. पर अपनी मोहर सहित हस्ताक्षर किए गए

विद्यालय एस.डी.एम.सी. की ओर से | **सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान केन्द्र (ITGK) ओर से**

नाम :
पदनाम :

नाम :
पदनाम :

साक्षी : 1.

....

2.